

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-165

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों का विद्युतीकरण

\*165. श्री ऑस्कर फर्नांडिस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा प्रकाशित ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी आंकड़े में कुछ अविद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत गांवों के रूप में शामिल कर गिना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अधीन, राज्य-वार विद्युतीकृत गांवों की वास्तविक संख्या कितनी-कितनी है;

(घ) क्या उन गांवों/बस्तियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, जहां लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विद्युतीकरण कार्य अभी शुरू किया जाना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"गाँवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 165 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : जी, नहीं। जिन गाँवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उनके विद्युतीकरण से संबंधित सूचना संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा दी जाती है, जिसके आधार पर भारत सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती है।

(ग) : वर्ष 2015-16 के दौरान 7108 अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) और (ड): राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 अविद्युतीकृत गाँव थे। 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार, इन गाँवों में से 8,612 गाँवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। शेष गाँवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

\*\*\*\*\*

"गाँवों का विद्युतीकरण" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

पिछले वर्ष के दौरान विद्युतीकृत किए गए गाँवों की राज्य-वार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	2015-16
1	आंध्र प्रदेश	0
2	अरुणाचल प्रदेश	174
3	असम	942
4	बिहार	1754
5	छत्तीसगढ़	405
6	गुजरात	0
7	हरियाणा	0
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	जम्मू एवं कश्मीर	27
10	झारखण्ड	750
11	कर्नाटक	0
12	केरल	0
13	मध्य प्रदेश	214
14	महाराष्ट्र	0
15	मणिपुर	75
16	मेघालय	1
17	मिजोरम	16
18	नागालैण्ड	0
19	ओडिशा	1264
20	पंजाब	0
21	राजस्थान	163
22	सिक्किम	0
23	तमिलनाडु	0
24	तेलंगाना	0
25	त्रिपुरा	9
26	उत्तर प्रदेश	1305
27	उत्तराखण्ड	0
28	पश्चिम बंगाल	8
	<b>कुल</b>	<b>7108</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1562

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गाँवों में विद्युत कनेक्शन लगाया जाना

1562. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013-14 तक देश में कितने गाँव विद्युतीकृत हो चुके थे तथा कितने गाँवों को विद्युतीकृत किया जाना था; और

(ख) वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान कुल कितने गाँवों को विद्युतीकृत किया गया और इन गाँवों में कुल कितने नए कनेक्शन दिए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 1,11,998 गैर-विद्युतीकृत गाँवों के लक्ष्य की तुलना में, दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के अंतर्गत देश में संचयी रूप से 1,08,280 गैर-विद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) : विद्युतीकृत गाँवों की संख्या तथा जारी किए गए बीपीएल कनेक्शनों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	विद्युतीकृत गाँवों की संख्या	विद्युतीकृत बीपीएल घरों की संख्या
15-2014	1405	759377
16-2015	7108	1439144

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1563  
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विद्युत खपत

1563. श्री रीतान्नता बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों से पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक विद्युत खपत कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो विगत दस वर्षों के दौरान औद्योगिक खपत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विद्युत खपत जो वर्ष 2005-06 के दौरान 11399.84 मिलियन यूनिट (एमयू) थी, बढ़कर वर्ष 2014-15 में 18564.41 मिलियन यूनिट हो गयी है।

राज्य विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा पिछले 10 वर्षों के प्रस्तुत पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत की अंतिम रूप से बिक्री (एंड सेल) तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वार्षिक प्रकाशन "अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकी सामान्य समीक्षा" में प्रकाशित ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	औद्योगिक विद्युत खपत (मिलियन यूनिट)
2005-06	11399.84
2006-07	12388.44
2007-08	12908.90
2008-09	14323.59
2009-10	18566.19
2010-11	17272.95
2011-12	18229.22
2012-13	18525.54
2013-14	18652.39
2014-15	18564.41

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1564

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत चोरी के कारण हानियां

1564. श्री प्रभात झा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली चोरी से प्रतिवर्ष सरकार को राजस्व की भारी हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सबसे अधिक बिजली चोरी के मामले उद्योग क्षेत्र से पाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बिजली चोरी को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रभावी कदम उठाए गए हैं और उनके सकारात्मक परिणाम आए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को दी गई रिपोर्ट के अनुसार विद्युत चोरी के पंजीकृत मामले, ऐसी ऊर्जा हानि की लागत तथा उन पर लगाए गए अभिदण्ड से संबंधित मामलों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में हैं।

(ग) और (घ) : बिजली की चोरी पर नियंत्रण करना विद्युत वितरण कंपनियों तथा उनसे संबंधित राज्यों का उत्तरदायित्व होता है। सीईए को दी जाने वाली उनकी रिपोर्ट में उपभोक्ता विशिष्ट सूचना शामिल नहीं होती है।

(ङ) और (च) : विद्युत मंत्रालय ने राज्यों को उनकी प्रणालियों में सुधार करने हेतु सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों जैसे एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के माध्यम से कई उपाय जैसे वितरण अवसंरचना की आईटी समर्थता, फीडर मीटरिंग, फीडर पृथक्करण तथा एटीएंडसी हानि ट्रैजेक्टरी की निगरानी किए हैं ताकि चोरी के कारण होने वाली विद्युत की हानि को कम किया जा सके। पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) द्वारा जनवरी, 2016 में 76 से अधिक शहरी क्षेत्रों में किए गए प्रभाव मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार 86% शहरों में एटीएंडसी हानियों में सुधार हुआ था जिसमें चोरी तथा लघु चोरी के कारण 1% से 54% तक की हानि शामिल है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1564 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष न्यायालयों में दायर/पंजीकृत विद्युत चोरी के मामलों से संबंधित सूचना**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	उन मामलों की संख्या, जिनमें निरीक्षण किया गया (सं.)	उन मामलों की संख्या, जिनमें विद्युत चोरी पकड़ी गई (सं.)	इस अवधि में उपर्युक्त मामलों में चोरी के रूप में विचारित वैद्युत ऊर्जा की आकलित मात्रा (मिलियन यूनिट)	ऐसी ऊर्जा की आकलित लागत (रुपए करोड़ में)	ऐसे मामले, जिनमें जुर्माना लगाया गया (सं.)
<b>1. असम</b>						
असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड						
	2013-14	1790	203	2.93	2.05	203
	2014-15	3000	388	6.16	4.3	388
<b>2. छत्तीसगढ़</b>						
सीएसपीडीसीएल						
	2013-14	294363	10892	55.75	27.97	10834
	2014-15	272925	8145	42.83	32.55	8108
<b>3. गुजरात</b>						
डीजीवीसीएल, सूरत						
	2013-14	190161	12804	40.57	26.37	12804
	2014-15	214783	11756	46.36	30.13	11756
एमजीवीसीएल						
	2013-14	399429	8274	11.61	9.11	25
	2014-15	357866	13035	22.53	16.17	51
यूजीवीसीएल						
	2013-14	812981	7513	17.88	6.23	0
	2014-15	756762	6480	16.69	7.08	0
पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड						
	2013-14	2006433	58908	62.63	43.22	10
	2014-15	1463826	51889	87.99	46.21	7
<b>4. गोवा</b>						
गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2013-14	2345	28	0.3	0.3	28
	2014-15	2715	84	0.8	0.94	85
<b>5. हिमाचल प्रदेश</b>						
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड						
	2013-14	115557	250	0.18	5.96	250
	2014-15	110707	260	0.26	3.05	260

6. कर्नाटक						
	2013-14	279968	65822	123.12	57.19	54496
	2014-15	204776	54100	125.24	57.86	42676
बैंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी						
	2013-14	117253	32047	111.62	43.31	32047
	2014-15	101984	33805	114.75	45.56	33805
चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन कंपनी						
	2013-14	23333	647	0.03	0.44	647
	2014-15	23286	766	1.41	1.8	766
मंगलौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी						
	2013-14	90613	12246	0.43	0.56	12246
	2014-15	14949	229	0.25	0.44	229
हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी						
	2013-14	25347	2598	2.35	3.02	2598
	2014-15	28634	2083	2.57	2.65	2083
गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी						
	2013-14	23422	18284	8.69	9.85	6958
	2014-15	35923	17217	6.26	7.41	5793
7. केरल						
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड						
	2013-14	21758	386	2.74	3.15	386
	2014-15	31369	895	5.12	8.63	895
8. राजस्थान						
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड						
	2013-14	30506	7590	उपलब्ध नहीं	31.03	7590
	2014-15	61083	15560	उपलब्ध नहीं	63.3	15560
अजमेर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन निगम लिमिटेड						
	2013-14	106323	34363	154.02	64.99	3358
	2014-15	120700	41768	197.72	85.22	3084
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड						
	2014-15	109870	74330	200.22	112.74	282
	2015-16	138286	92496	219.99	136.05	169
9. मेघालय						
मेघालय पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड						
	2013-14	2861	1166	0.26	0.59	819
	2014-15	4568	1048	0.21	0.34	686
10. मिजोरम						
पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2013-14	63615	221	0.013	0.036	33
	2014-15	13795	101	0.026	0.024	46



11. नागालैण्ड						
डिपार्टमेंट ऑफ पावर						
	2013-14	3524	1288	0.773	0.031	1288
	2014-15	1234	909	0.279	0.11	909
12. तमिलनाडु						
तमिलनाडु जेनरेशन एंड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड						
	2014-15	533323	18532	20.15	49.89	18530
	2015-16	603665	15455	21.88	49.79	15447
13. पश्चिम बंगाल						
सीईएससी लिमिटेड कोलकाता						
	2013-14	392716	35946	18.11	12.93	3643
	2014-15	447650	78706	11.77	14.68	4637
पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड						
	2013-14	23265	6233	23.328	27.994	2790
	2014-15	26132	6205	28.677	37.63	3186
14. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली						
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड						
	2013-14	26031	23751	74.47	111.7	16622
	2014-15	39539	36139	103.59	179	30582
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड						
	2013-14	15291	14182	31.18	60.84	10630
	2014-15	23380	22838	58.59	116.8	18254
टाटा पावर - डीडीएल						
	2013-14	18457	9226	38.49	46	8226
	2014-15	20211	8491	37.56	51	7380
15. संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली						
पावर डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन						
	2013-14	27	0	0	0	0
	2014-15	19	1	0.03	0.0175	1
16. संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी						
	2013-14	2271	7	0.18	0.31	7
	2014-15	2610	3	0.068	0.057	3
17. संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़						
चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट						
	2013-14	1177	65	0.82	0.88	65
	2014-15	1879	62	उपलब्ध नहीं	1.43	62

(स्रोत: सीईए)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1565  
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

एल.ई.डी. बल्बों के कारण बचत

1565. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि यदि सभी 770 मिलियन बल्बों को एल.ई.डी. बल्बों से बदल दिया जाता है, तो भारत 100 बिलियन यूनिट बिजली की खपत और प्रतिवर्ष 14,000 करोड़ रुपये बचा लेगा; और
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और अब तक इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एलईडी कार्यक्रम का उद्देश्य मार्च, 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त (इंकांडेसेंट) बल्बों को एलईडी बल्बों से प्रतिस्थापित करने का है और प्रति वर्ष 100 मिलियन यूनिट अनुमानित ऊर्जा बचत होने की आशा है। एलईडी लाइटों के संवर्धन में एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) एक उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जबकि बहुत सारे दूसरे आपूर्तिकर्ता भी यह कार्य कर रहे हैं। सभी के लिए वहनीय एलईडी (उजाला) द्वारा उन्नत ज्योति एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन चार विद्युत क्षेत्र पीएसयू की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ईईएसएल द्वारा किया जा रहा है और स्थायी कारोबार मॉडल पर आधारित है जहाँ दक्ष लाइटिंग की लागत उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा बिल में हुई बचत से चुकाई जाती है।

27.07.2016 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल द्वारा लगभग 13.71 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जा चुके हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 14,636 मिलियन किलोवाट प्रति घंटे और रु.5,851 करोड़ की अनुमानित वार्षिक बचत होगी। इसके अतिरिक्त, लगभग 8.0 करोड़ एलईडी बल्ब अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वितरित किए जाने के बारे में बताया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1566  
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युत तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन

1566. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पेरिस में हुए जलवायु सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता को देखते हुए बिजली अधिनियम तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में संशोधन किए जाने की जरूरत है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने उक्त कानून में संशोधन करने के लिए पहल शुरू कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी नहीं। हाल ही में संपन्न पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की प्रतिबद्धता के मद्देनजर विद्युत अधिनियम, 2003 या ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है।

हालांकि पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन से पूर्व विद्युत अधिनियम, 2003 में संशोधन करने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्द्धन के प्रावधान शामिल हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1567  
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

गाँवों का विद्युतीकरण

1567. श्री टी. के. रंगराजन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि सरकार ने 2018 तक सभी गाँवों को विद्युतीकृत करने का निर्णय लिया है;
- (ख) अभी और कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और
- (ग) एक विद्युतीकृत गाँव की क्या विशेषताएं हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 18,452 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। इनमें से 24.07.2016 तक 9,134 गाँव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं तथा शेष गैर-विद्युतीकृत गाँवों को 01 मई, 2018 तक विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, किसी गाँव को विद्युतीकृत गाँव के रूप में परिभाषित किया जाता है, यदि:

- (i) आवासित स्थानों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों द्वारा स्थानीय रूप से आवासित/वासस्थल, जहाँ वह मौजूद हैं, में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध करवा दी जाती है,
- (ii) सार्वजनिक स्थानों, जैसे स्कूलों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि को विद्युत उपलब्ध करवा दी जाती है, तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गाँव में कुल घरों की संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1568  
जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

लघु विद्युत संयंत्र

1568. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य में लघु विद्युत संयंत्र संस्थापित करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी, हाँ। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं (एमएचपी) सहित 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं (एसएचपी) के विकास के लिए योजना की घोषणा की है। एसएचपी/एमएचपी का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी तक देश में 4304.26 मेगावाट क्षमता की 1069 एसएचपी/एमएचपी स्थापित की गई हैं। स्थापित की गई परियोजनाओं की राज्य-वार सूची अनुबंध-1 में दी गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एसएचपी/एमएचपी की स्थापना के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों की परियोजनाओं को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना का ब्यौरा अनुबंध-॥ में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

लघु जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और समग्र क्षमता  
(25 मेगावाट तक) (30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	राज्य	संभावित		संस्थापित परियोजनाएं	
		सं.	कुल क्षमता (मेगावाट)	सं.	क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	387	978.4	71	232.98
2	अरुणाचल प्रदेश	677	1341.38	152	104.605
3	असम	119	238.69	6	34.11
4	बिहार	93	223.05	29	70.7
5	छत्तीसगढ़	200	1107.15	10	76
6	गोवा	6	6.5	1	0.05
7	गुजरात	292	201.97	6	16.6
8	हरियाणा	33	110.05	9	73.5
9	हिमाचल प्रदेश	531	2397.91	179	793.81
10	जम्मू एवं कश्मीर	245	1430.67	39	156.53
11	झारखंड	103	208.95	6	4.05
12	कर्नाटक	834	4141.12	165	1217.73
13	केरल	245	704.1	29	198.92
14	मध्य प्रदेश	299	820.44	11	86.16
15	महाराष्ट्र	274	794.33	64	346.175
16	मणिपुर	114	109.13	8	5.45
17	मेघालय	97	230.05	4	31.03
18	मिजोरम	72	168.9	18	36.47
19	नागालैंड	99	196.98	12	30.67
20	ओडिशा	222	295.47	10	64.625
21	पंजाब	259	441.38	54	170.9
22	राजस्थान	66	57.17	10	23.85
23	सिक्किम	88	266.64	17	52.11
24	तमिलनाडु	197	659.51	21	123.05
25	त्रिपुरा	13	46.86	3	16.01
26	उत्तर प्रदेश	251	460.75	9	25.1
27	उत्तराखंड	448	1707.87	101	209.32
28	पश्चिम बंगाल	203	396.11	24	98.5
29	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	7	7.91	1	5.25
<b>कुल</b>		<b>6474</b>	<b>19749.44</b>	<b>1069</b>	<b>4304.255</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

लघु जल विद्युत परियोजनाओं/सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

I. निजी, सहकारी, संयुक्त क्षेत्र में नए एसएचपी को सहायता

श्रेणी	0.1 मेगावाट से अधिक - 25 मेगावाट
एनई क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (विशेष श्रेणी राज्य)	1.5 करोड़ रुपए/मेगावाट से 5.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना सीमित
अन्य राज्य	1.5 करोड़ रुपए/मेगावाट से 5.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना सीमित

II. सरकारी/राज्य क्षेत्र में नए एसएचपी को सहायता

क्षेत्र	100 किलोवाट तक और 1000 किलोवाट तक	1 मेगावाट से अधिक और 25 मेगावाट तक
एनई क्षेत्र, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड (विशेष श्रेणी राज्य)	75,000 रुपए प्रति किलोवाट	7.5 करोड़ रुपए/मेगावाट से 20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना सीमित
अन्य राज्य	35,000 प्रति किलोवाट	3.5 करोड़ रुपए/मेगावाट से 20 करोड़ रुपए प्रति परियोजना सीमित

III. पनचक्की और सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पनचक्कियों के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता

पनचक्की की श्रेणी	केंद्रीय वित्तीय सहायता की राशि
केवल यांत्रिक उत्पादन	50,000/- रुपए प्रति पनचक्की
विद्युत उत्पादन (5 किलोवाट तक) या यांत्रिक दोनों और विद्युत उत्पादन (5 किलोवाट तक)	1,50,000/- रुपए प्रति पनचक्की
सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं (सभी राज्य)	1,25,000/- रुपए प्रति किलोवाट

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1569

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

**गैस-आधारित विद्युत संयंत्रों का पुनरुज्जीवन किया जाना**

**1569. डॉ. प्रदीप कुमार बालमुचू:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को पुनरुज्जीवित किए जाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संयंत्रों को कोई राजसहायता अथवा कर रियायत दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर के पुनरुज्जीवित किए जा रहे विद्युत संयंत्रों को दिए जा रहे पुनरुज्जीवन पैकेज का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) से (ग) :** भारत सरकार ने रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों तथा लक्षित संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) तक घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के लिए वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में आयोजित स्पॉट पुनर्गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति करने की एक स्कीम संस्वीकृत की है। स्कीम में विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से वित्तीय सहायता के लिए प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, स्कीम में केंद्र एवं राज्य सरकारों सहित इन उद्देश्यों के लिए आयात किए जा रहे मूल्यवर्द्धित आरएलएनजी पर लागू करों और लेवी/शुल्कों से छूट के माध्यम से सभी पणधारकों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले अधित्याग की परिकल्पना की गई है।

स्कीम के अंतर्गत किए जाने वाले अधित्याग इस प्रकार हैं:

- (i) आयातित एलएनजी पर सीमा शुल्क अधित्याग;
- (ii) मूल्यवर्द्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर का अधित्याग;
- (iii) पाइपलाइन प्रशुल्क प्रभारों, पुनर्गैसीकरण प्रभारों और बाजार मार्जिन में कमी; और
- (iv) स्ट्रैंडेड गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए पारेषण प्रभारों और हानियों से छूट।

यह स्कीम 01 जून, 2015 से कार्यान्वयनाधीन है।

इस स्कीम के अंतर्गत पात्र संयंत्रों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

\*\*\*\*\*



राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1569 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

**स्टैंडर्ड गैस आधारित क्षमता की सूची**

क्रम संख्या	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
<b>केंद्रीय क्षेत्र</b>			
1	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र
	<b>कुल (सीएस)</b>	<b>1967</b>	
<b>राज्य क्षेत्र</b>			
2	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
3	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	112	गुजरात
4	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	374	गुजरात
5	पीपीवाव सीसीपीपी	702	गुजरात
6	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	376.3	गुजरात
7	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात
	<b>कुल (एसएस)</b>	<b>2665.3</b>	
	<b>कुल (सार्वजनिक)</b>	<b>4632.3</b>	
<b>निजी क्षेत्र</b>			
1	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात
2	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली
3	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात
4	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात
5	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात
6	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश
7	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश
8	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	220.5	आंध्र प्रदेश
9	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश
10	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश
11	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश
12	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश
13	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश
14	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश
15	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश
16	जीएमआर वेमागिरी एक्सपें.	768	आंध्र प्रदेश
17	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी -III	742	आंध्र प्रदेश
18	समलकोट एक्सपें.	2400	आंध्र प्रदेश
19	पांडुरंगा द्वारा सीसीजीटी	116	आंध्र प्रदेश
20	आस्था द्वारा गैस इंजन	35	तेलंगाना
21	काशीपुर श्रावन्थी स्टेज-I व II	450	उत्तराखण्ड
22	बेटा इंफ्राटेक सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
23	गामा इंफ्राप्रोप सीसीजीटी	225	उत्तराखण्ड
24	पायोनियर गैस पावर लिमिटेड द्वारा सीसीजीटी	388	महाराष्ट्र
	<b>कुल (निजी)</b>	<b>9673</b>	
	<b>कुल</b>	<b>14305.3</b>	

- कृपया नोट करें कि 515 मेगावाट की कुल क्षमता में से, 300 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति ग्रिड को की जा रही है तथा शेष 215 मेगावाट का प्रयोग कैप्टिव उत्पादन के रूप में किया जा रहा है।

\*\*\*\*\*

**घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों की सूची**

क्रम संख्या	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद, सीसीपीपी	431.59	हरियाणा
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान
3	एनटीपीसी, ओरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात
	<b>कुल (सीएस)</b>	<b>3657.65</b>	
7	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली
8	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली
9	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली
10	धौलापुर सीसीपीपी	330	राजस्थान
11	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	106.42	गुजरात
12	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात
13	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	144	गुजरात
14	उरन सीसीपीपी (महाजैनको)	672	महाराष्ट्र
	<b>कुल (एसएस)</b>	<b>2758.92</b>	
	<b>कुल (सार्वजनिक)</b>	<b>6416.57</b>	
1	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र
2	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात
3	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश
4	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	235.4	आंध्र प्रदेश
5	कॉडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	350	आंध्र प्रदेश
6	पेड्डापुलम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश
7	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश
8	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात
9	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात
	<b>कुल (निजी)</b>	<b>3427.9</b>	
	<b>सकल योग</b>	<b>9844.47</b>	

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1570

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

देश में विद्युत की स्थिति

1570. श्री नीरज शेखर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत की कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, वर्ष 2016-17 के दौरान देश में विद्युत का उत्पादन माँग की तुलना में अधिक रहा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार के दावे का आधार क्या है;

(ङ) देश में आज की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की स्थिति के अनुसार वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2015-16 के दौरान देश में, ऊर्जा और व्यस्ततम ऊर्जा की कमी के संदर्भ में विद्युत की कमी क्रमशः 2.1% और 3.2% थी। राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा 2016-17 के लिए प्रकाशित लोड जेनरेशन बैलेंस रिपोर्ट (एलजीबीआर) के अनुसार वर्ष 2016-17 के दौरान देश में ऊर्जा तथा व्यस्ततम के संदर्भ में क्रमशः लगभग 1.1% और 2.6% अधिशेष विद्युत का पूर्वानुमान लगाया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए देश में पूर्वानुमानित विद्युत आपूर्ति की स्थिति नीचे दी गई है:

ऊर्जा (एमयू)		अधिकतम (एमडब्ल्यू)	
आवश्यकता	1,214,642	माँग	165,253
उपलब्धता	1,227,895	पूर्ति	169,503
अधिशेष	13,253	अधिशेष	4,250
अधिशेष % (प्रतिशतता)	1.1%	अधिशेष % (प्रतिशतता)	2.6%

(घ) : सीईए द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए एलजीबीआर उत्पादन कंपनियों तथा वितरण यूटिलिटीयों के परामर्श से तथा उनके द्वारा आंकड़े प्रस्तुत करने के आधार पर तैयार की गई थी।

(ङ) : 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार देश में संस्थापित क्षमता 3,03,118 मेगावाट है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ताप (मेगावाट)	नाभिकीय (मेगावाट)	जल विद्युत (मेगावाट)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
2,11,641	5,780	42,848	42,849	3,03,118

(च) : मेगावाट में वास्तविक विद्युत उत्पादन प्रणाली में विद्युत की मांग के अनुसार है जो समय-समय पर परिवर्तित होता रहता है। देश में, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल से जून, 2016) के दौरान ऊर्जा अर्थात् मिलियन यूनिट (एमयू) के संदर्भ में वास्तविक विद्युत उत्पादन 2,95,512 एमयू था।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1570 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016				अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(%)
चंडीगढ़	1,607	1,607	0	0	342	342	0	0
दिल्ली	29,626	29,583	-43	-0.1	5,846	5,846	0	0.0
हरियाणा	47,506	47,437	-69	-0.1	9,113	9,113	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	8,821	8,758	-63	-0.7	1,488	1,488	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	16,572	14,037	-2,535	-15.3	2,544	2,158	-386	-15.2
पंजाब	49,687	49,675	-12	0.0	10,852	10,852	0	0.0
राजस्थान	67,417	67,205	-212	-0.3	10,961	10,961	0	0.0
उत्तर प्रदेश	106,351	93,033	-13,318	-12.5	16,988	14,503	-2,485	-14.6
उत्तराखण्ड	12,889	12,675	-214	-1.7	2,034	2,034	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	340,476	324,009	-16,467	-4.8	54,474	50,622	-3,852	-7.1
छत्तीसगढ़	25,649	25,309	-340	-1.3	3,932	3,757	-175	-4.5
गुजरात	103,544	103,540	-4	0.0	14,495	14,448	-47	-0.3
मध्य प्रदेश	62,374	62,374	0	0.0	10,902	10,902	0	0.0
महाराष्ट्र	141,817	141,361	-456	-0.3	20,973	20,594	-379	-1.8
दमन एवं दीव	2,337	2,337	0	0.0	307	307	0	0.0
दादर नगर हवेली	5,925	5,925	0	0.0	740	740	0	0.0
गोवा	5,120	5,119	-1	0.0	583	552	-31	-5.3
पश्चिमी क्षेत्र	346,768	345,966	-802	-0.2	48,640	48,199	-441	-0.9
आंध्र प्रदेश	50,436	50,366	-70	-0.1	7,400	7,391	-9	-0.1
तेलंगाना	50,254	49,948	-306	-0.6	6,854	6,849	-5	-0.1
कर्नाटक	64,302	60,971	-3,331	-5.2	10,202	9,508	-694	-6.8
केरल	23,318	23,194	-124	-0.5	3,977	3,856	-121	-3.1
तमिलनाडु	97,276	96,586	-690	-0.7	14,190	14,171	-19	-0.1
पुडुचेरी	2,437	2,429	-8	-0.3	368	352	-16	-4.3
लक्षद्वीप#	48	48	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	288,025	283,494	-4,531	-1.6	40,030	39,875	-155	-0.4
बिहार	23,961	23,659	-302	-1.3	3,735	3,484	-251	-6.7

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015 - मार्च,2016				अप्रैल, 2015 - मार्च,2016			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(%)
डीवीसी	18,437	18,234	-203	-1.1	2,814	2,794	-20	-0.7
झारखण्ड	7,735	7,561	-174	-2.2	1,153	1,153	0	0.0
ओडिशा	26,762	26,600	-162	-0.6	4,091	4,091	0	0.0
पश्चिम बंगाल	47,359	47,194	-165	-0.3	7,905	7,885	-20	-0.3
सिक्किम	399	399	0	0.0	109	109	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	124,654	123,646	-1,008	-0.8	18,169	18,056	-113	-0.6
अरुणाचल प्रदेश	626	591	-35	-5.6	139	135	-4	-2.9
असम	8,762	8,272	-490	-5.6	1,491	1,378	-113	-7.6
मणिपुर	840	810	-30	-3.6	168	167	-1	-0.6
मेघालय	1,833	1,725	-108	-5.9	400	377	-23	-5.8
मिजोरम	471	455	-16	-3.4	102	101	-1	-1.0
नागालैण्ड	755	739	-16	-2.1	140	138	-2	-1.4
त्रिपुरा	1,202	1,146	-56	-4.7	300	269	-31	-10.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	14,488	13,735	-753	-5.2	2,573	2,367	-206	-8.0
अखिल भारत	1,114,408	1,090,850	-23,558	-2.1	153,366	148,463	-4,903	-3.2

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप स्टैंड-एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता की भाग नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1571

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित समझौता

1571. श्रीमती सरोजिनी हेम्ब्रम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने तथा विद्युत का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से बांग्लादेश अथवा किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास भविष्य में ऐसा कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : भारत ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने अथवा विद्युत के निर्यात को बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ किसी विशिष्ट करार पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। तथापि, दिनांक 11.01.2010 को बांग्लादेश की लोकतांत्रिक गण राज्य सरकार के साथ "विद्युत क्षेत्र में सहयोग" पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

भारत ने दिनांक 21.10.2014 को नेपाल सरकार के साथ "विद्युत व्यापार, सीमा-पार पारेषण इंटरकनेक्शन एवं ग्रिड कनेक्टिविटी" पर तथा दिनांक 28.07.2006 को भूटान की शाही सरकार के साथ "जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग" के संबंध में द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके अतिरिक्त सभी सार्क सदस्य राज्यों जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका शामिल हैं, द्वारा दिनांक 27.11.2014 को सार्क ऊर्जा सहयोग (विद्युत) अवसंरचना करार पर भी हस्ताक्षर किए गये हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1572

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गांवों में बिजली की आपूर्ति और कनेक्शन

1572. श्री पी. एल. पुनिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान विद्युतीकृत गांवों में औसतन कितने घण्टे बिजली दी जा रही है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त गांवों में विद्युतीकरण करवाने वाले घरों की संख्या बहुत कम है और यदि हां, तो औसतन कितने घरों में बिजली कनेक्शन है तथा कितने घरों में नहीं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान विद्युतीकृत उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र में सीपीएसयू के माध्यम से विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा उनसे उन्हें विद्युत आबंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ख) : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत आरई घटकों सहित मुफ्त विद्युत कनेक्शन सभी पात्र बीपीएल परिवारों को दिए गये हैं तथा एपीएल परिवारों को विद्युत मिलने का अवसर दिया जाता है। बीपीएल परिवारों को 4.23 करोड़ मुफ्त विद्युत कनेक्शनों के कवरेज की तुलना में योजनांतर्गत 30.06.2016 तक देश में संचयी रूप से 2.40 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए गये हैं। उपर्युक्त के अलावा एपीएल परिवारों को विद्युत कनेक्शन संबंधित राज्य सरकार यूटिलिटीयों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1573

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

जल विद्युत उत्पादन की स्थिति

1573. श्री दिलीप कुमार तिर्की:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश की कुल ऊर्जा में से जल विद्युत का हिस्सा वर्ष 1962-63 में 51 प्रतिशत से लगातार घटते हुए वर्तमान में लगभग 15 प्रतिशत रह गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा नगण्य है; और

(ग) यदि हां, तो देश में जल विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हां। कुल संस्थापित क्षमता 1962-63 के आधार से 52 गुणा बढ़ी है, देश की कुल मिश्रित ऊर्जा में जल विद्युत का प्रतिशत हिस्सा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, जो वर्ष 1962-63 में 51% था, वह घटकर वर्ष 2016-17 (दिनांक 30.06.2016 के अनुसार स्थिति) के दौरान 14% रह गया है:

वर्ष	कुल संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	जल विद्युत की संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	जल-विद्युत का हिस्सा (%)
1962-63	5,801	2,936	51
2016-17 (दिनांक 30.6.2016 तक)	3,03,118	42,848	14

(ख): दिनांक 30.06.2016 की स्थिति के अनुसार, जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र का हिस्सा 7.28% अर्थात् 42,848 मेगावाट में से 3120 मेगावाट है।

(ग): विकासकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपचारात्मक उपाय किए गये हैं जैसे कि राष्ट्रीय विद्युत नीति के अंतर्गत दीर्घावधिक ऋण वित्त पोषण का प्रावधान, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) मानदण्डों की तुलना में मूल्य-हास की निम्न दर प्रभारित करने का विकल्प, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए लागत आधिक्य प्रशुल्क व्यवस्था को 15.08.2022 तक बढ़ाना, नवीकरणीय क्रय बाध्यता को जल विद्युत से हटाना इत्यादि।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1574

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

बिजली बचाने के लिए उठाए गए कदम

1574. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिजली बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हमारे देश के घरेलू, कृषि तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कोई ऊर्जा लेखापरीक्षा कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो बिजली बचाने के लिए विकसित तंत्र का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : देश के घरेलू, कृषि तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता/संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र लाने हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- (i) ऊर्जा बचत के बारे में उपभोक्ता को सूचित पसंद प्रदान करने के लिए उपकरण हेतु स्टैंडर्ड्स तथा लेबलिंग कार्यक्रम तथा उसके द्वारा संबद्ध विपणित उत्पाद से लागत बचत की संभावना।
- (ii) 15 किलोवाट के जुड़े लोड तक ऊर्जा दक्ष कृषि पम्पसेटों की लेबलिंग।
- (iii) ऊर्जा गहन उद्योगों, जिन्हें नामित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किया गया है, के लिए विशिष्ट ऊर्जा उपभोग मानदंड का विवरण देना तथा निष्पादन, प्राप्त तथा व्यापार (पीएटी) योजना के माध्यम से क्रियान्वित किया गया।
- (iv) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) तैयार करना।
- (v) बहु मंजिले आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता हेतु डिजाइन दिशा-निर्देश।

- (vi) नगरपालिका घरेलू, कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम)।
- (vii) सभी (उजाला) तथा स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) के लिए वहनीय एलईडी द्वारा डीएसएम आधारित उन्नत ज्योति के माध्यम से ऊर्जा दक्ष एलईडी लैम्पों का संवर्द्धन।
- (viii) ऊर्जा दक्ष पंखों तथा कृषि पम्पसेटों का संवर्द्धन।

**(घ) और (ङ) :** सरकार ने पिछले तीन वर्षों में कोई ऊर्जा लेखा परीक्षा नहीं की है। हालांकि, सरकार ने दिनांक 27 मई, 2014 को एस.ओ. 1378(ई) के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसीएस) की अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षाओं हेतु अधिसूचना जारी की है जिसमें सभी डीसीएस को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विनियम, 2010 में विनिर्दिष्ट तरीके से अपनी सुविधाओं की ऊर्जा लेखा परीक्षा करवाए जाने की अपेक्षा की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1575

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार

1575. श्री आनन्द शर्मा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताप विद्युत संयंत्रों में वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान कोयले की कमी के कारण कितने ताप विद्युत संयंत्रों को अल्प अवधि के लिए बंद करना पड़ा; और

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ताप विद्युत संयंत्रों के पास विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। 26 जुलाई, 2016 की स्थिति के अनुसार, विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 30.72 मिलियन टन (एमटी) कोयले के भंडार की स्थिति थी, जो 23 दिनों के लिए विद्युत संयंत्रों को चलाने हेतु पर्याप्त है।

(ख) : पिछले 2 वर्षों के दौरान कोयले की कमी के कारण कोई भी ताप विद्युत संयंत्र बंद नहीं रहा। वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान (जून, 2016 तक) किसी भी विद्युत संयंत्र से कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि की सूचना नहीं मिली है।

(ग) : ताप विद्युत संयंत्रों को निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

- (i) घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा बहु आयामी प्रयास किए जा रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक पर्याप्त रूप से 1 बिलियन टन (बीटी) तक उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है।
- (ii) कोयले की उपलब्धता की सरकार में शीर्ष स्तर पर गहनता से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। ताकि कोयले की कमी की वजह से विद्युत संयंत्र का उत्पादन प्रभावित न हो।
- (iii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए केंद्र/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1576

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत की कमी

1576. श्री अनुभव मोहंती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में वाणिज्यिक तथा घरेलू प्रयोजनों के लिए विद्युत की कमी है;

(ख) ओडिशा की कुल विद्युत आवश्यकता और कमी कितनी-कितनी है;

(ग) यह राज्य इस कमी को वर्तमान में कैसे सम्भाल रहा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ओडिशा सहित राज्यों को उनकी विद्युत कमी से उबरने के लिए क्या-क्या सुझाव और मदद प्रदान करेगी?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। वाणिज्यिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है।

वाणिज्यिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं के श्रेणीवार ब्यौरे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में संकलित नहीं किए जाते हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीईए को दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल-जून, 2016) के दौरान समग्र विद्युत आपूर्ति स्थिति तथा कमी वाले राज्यों को भी दर्शाते हुए राज्यवार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। चालू वर्ष 2016-17 (अप्रैल-जून, 2016) के दौरान ओडिशा में कुल ऊर्जा आवश्यकता 7,186 मिलियन यूनिट थी तथा व्यस्ततम माँग 4,012 मेगावाट थी। ओडिशा में विद्युत की कोई कमी नहीं है। ओडिशा में विद्युत की माँग को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से ओडिशा को 1,750 मेगावाट का आवंटन किया है।

(घ) : देश में ओडिशा सहित विद्युत की कमी वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा राज्यों को पर्याप्त विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान, 30 जून, 2016 तक, पारंपरिक स्रोतों से लगभग 86,565 मेगावाट तथा नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 19,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि हुई है।
- (ii) विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित कर दी गई है। वर्ष 2015-16 के दौरान विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति में लगभग 6.2% की वृद्धि हुई है। 24.07.2016 की स्थिति के अनुसार, विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार 31.3 मिलियन टन (एमटी) है जो विद्युत संयंत्रों के प्रचालन के लिए 23 दिनों के लिए पर्याप्त है जबकि मानक भंडार 21 दिन का होता है। इस समय कोई भी ऐसा विद्युत केंद्र नहीं है जहाँ कोयले के भंडार की नाजुक स्थिति हो।
- (iii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 30 जून, 2016 तक 89,813 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनें तथा 2,66,033 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता पूरी कर ली गई है।
- (iv) भारत सरकार ने राज्यों के साथ भागीदारी करके 24x7 विद्युत सभी को उपलब्ध कराने हेतु राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु पहल की है।
- (v) उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा लाइनों की हानियों को कम करने और पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने हेतु कृषि फीडर्स के पृथक्करण के लिए भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) नामक दो नई स्कीमों की शुरुआत की गई है।
- (vi) भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा अन्य मांग पक्ष प्रबंधन उपायों के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं।
- (vii) केंद्र सरकार ने डिस्कॉमों के प्रचालनात्मक तथा वित्तीय बदलाव के लिए 20.11.2015 को उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) अधिसूचित की है।
- (viii) भारत सरकार ने उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाए हैं।
- (ix) भारत सरकार ने स्ट्रैंडर्ड आधारित गैस उत्पादन के लिए विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) से सहायता देकर एक योजना की शुरुआत की है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1576 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2015-16 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016				अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(%)
चंडीगढ़	489	489	0	0	361	361	0	0
दिल्ली	9,413	9,397	-16	-0.2	6,308	6,260	-48	-0.8
हरियाणा	12,611	12,611	0	0.0	8,763	8,763	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	2,169	2,156	-13	-0.6	1,330	1,330	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	4,403	3,600	-803	-18.2	2,478	2,102	-376	-15.2
पंजाब	14,081	14,081	0	0.0	10,972	10,972	0	0.0
राजस्थान	17,190	17,168	-22	-0.1	9,906	9,906	0	0.0
उत्तर प्रदेश	28,155	27,256	-899	-3.2	16,081	15,501	-580	-3.6
उत्तराखण्ड	3,405	3,380	-25	-0.7	2,020	1,945	-75	-3.7
उत्तरी क्षेत्र	91,917	90,139	-1,778	-1.9	52,726	51,086	-1,640	-3.1
छत्तीसगढ़	6,164	6,140	-24	-0.4	3,875	3,851	-25	-0.6
गुजरात	28,292	28,292	0	0.0	14,724	14,708	-16	-0.1
मध्य प्रदेश	15,428	15,427	-1	0.0	8,145	8,111	-34	-0.4
महाराष्ट्र	36,650	36,613	-37	-0.1	20,057	20,021	-36	-0.2
दमन एवं दीव	595	595	0	0.0	304	304	0	0.0
दादरा एवं नागर हवेली	1,524	1,524	0	0.0	781	781	0	0.0
गोआ	1,271	1,269	-2	-0.2	497	496	-1	-0.3
पश्चिमी क्षेत्र	89,925	89,862	-63	-0.1	45,369	44,957	-412	-0.9
आंध्र प्रदेश	13,162	13,127	-35	-0.3	7,576	7,361	-215	-2.8
तेलंगाना	12,043	12,039	-4	0.0	6,935	6,894	-41	-0.6
कर्नाटक	16,291	16,063	-228	-1.4	9,980	9,551	-428	-4.3
केरल	6,296	6,277	-19	-0.3	4,132	3,996	-135	-3.3
तमिलनाडु	27,375	27,367	-8	0.0	14,823	14,823	0	0.0
पुडुच्चेरी	677	676	-1	-0.1	371	368	-3	-0.7
लक्षद्वीप#	12	12	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	75,845	75,549	-296	-0.4	40,752	40,472	-280	-0.7

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016				अप्रैल, 2015 - मार्च, 2016			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अधिशेष/कमी(-)		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	अधिशेष/कमी(-)	
	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(मि.यू.)	(%)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(मे.वाट)	(%)
बिहार	6,848	6,705	-143	-2.1	3,662	3,638	-24	-0.7
डीवीसी	4,626	4,599	-27	-0.6	2,562	2,562	0	0.0
झारखण्ड	2,040	2,034	-6	-0.3	1,498	1,498	0	0.0
ओडिशा	7,186	7,184	-2	0.0	4,012	4,012	0	0.0
पश्चिम बंगाल	13,175	13,128	-47	-0.4	8,073	8,049	-24	-0.3
सिक्किम	124	124	0	0.0	112	112	0	0.0
अंडमान-निकोबार#	60	45	-15	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	34,000	33,775	-225	-0.7	18,642	18,596	-46	-0.2
अरुणाचल प्रदेश	165	160	-5	-3.0	141	139	-2	-1.4
असम	2,221	2,092	-129	-5.8	1,511	1,458	-53	-3.5
मणिपुर	171	163	-8	-4.7	152	151	-1	-0.7
मेघालय	392	392	0	0.0	311	311	0	0.0
मिजोरम	119	116	-3	-2.5	88	88	0	0.0
नागालैण्ड	168	164	-4	-2.4	119	119	0	0.0
त्रिपुरा	423	412	-11	-2.6	275	273	-2	-0.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,659	3,498	-161	-4.4	2,487	2,475	-12	-0.5
अखिल भारत	295,344	292,822	-2,522	-0.9	152,974	149,971	-3,003	-2.0

# लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप स्टैंड-एलोन प्रणालियां हैं, इनकी विद्युत आपूर्ति स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता की भाग नहीं है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1577

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन

1577. श्री हिशे लाचुंगपा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मानते हुए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है;
- (ख) 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) क्या देश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में ढिलाई बरती जाने का एक कारण यह भी है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): केंद्र सरकार 25 मेगावाट क्षमता तक की छोटी जल-विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत मानते हुए वित्तीय सहायता दे रही है। तथापि, वर्तमान में, 25 मेगावाट की क्षमता से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन देने का कोई प्रावधान नहीं है। अधिक पूँजीगत लागत, भूमि अधिग्रहण मुद्दे, पर्यावरण और वन स्वीकृतियां, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन मुद्दे, अपर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाएं, जल विद्युत परियोजनाओं की सुदूर स्थिति, कानून और व्यवस्था/स्थानीय मुद्दे देश में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास में शिथिलता के लिए मुख्य मुद्दे अभिज्ञात किए गए हैं। तथापि, 25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना कुछ सीमा तक इन परियोजनाओं के विकास में सहायक हो सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1578

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन क्षमता

1578. श्री मेघराज जैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्रों द्वारा उत्पादन की जा रही बिजली क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित की जा रही बिजली का प्रतिशत क्या है;

(ग) 2015-16 के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्पादित बिजली का निर्धारित और प्राप्त किया गया लक्ष्य क्या-क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न क्षेत्रों के बिजली उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है तथा देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन क्षमता नीचे दी गई है:

(30.06.2016 की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट में)
केंद्रीय	76296.76
राज्य	101825.94
निजी	124995.51
कुल	303118.21*

\* : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से 42,848.43 मेगावाट क्षमता शामिल है।

(ख) : विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विभिन्न स्रोतों से विद्युत उत्पादन का प्रतिशत निम्नानुसार है:

स्रोत	2013-2014		2014-2015		2015-2016	
	वास्तविक उत्पादन		वास्तविक उत्पादन		वास्तविक उत्पादन	
	(एमयू)	कुल उत्पादन का %	(एमयू)	कुल उत्पादन का %	(एमयू)	कुल उत्पादन का %
थर्मल	792477.11	81.94	878320.01	83.76	943787.70	85.19
न्यूक्लियर	34227.79	3.54	36101.54	3.44	37413.62	3.38
हाइड्रो	134847.52	13.94	129243.68	12.32	121376.75	10.96
भूटान से आयात	5597.90	0.58	5007.74	0.48	5244.21	0.47
कुल	<b>967150.32</b>	<b>100.00</b>	<b>1048672.97</b>	<b>100.00</b>	<b>1107822.28</b>	<b>100.00</b>

टिप्पणी: 25 मेगावाट और उससे अधिक क्षमता के संयंत्र शामिल हैं।

वर्ष 2014-15, 2015-16 & 2016-17 के दौरान देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है:

(मिलियन यूनिट में)

वर्ष	पवन	सौर	बायोमास	खोई	लघु जल विद्युत	अन्य	कुल
2014-15	33768.303	4599.025	3159.846	11784.657	8059.505	413.597	61784.933
2015-16	33029.39	7447.92	3727.21	12953.29	8354.51	268.53	65780.85
2016-17 (मई, 2016 तक)	6363.40	2080.42	701.58	1526.59	1186.64	155.88	12014.50

टिप्पणी: राज्य भार प्रेषण केंद्रों (एसएलडीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार।

(ग) : 2015-16 के दौरान विभिन्न स्रोतों के संबंध में निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

स्रोत	2015-2016	
	लक्ष्य	उपलब्धि
	(एमयू)	(एमयू)
थर्मल	966700.0	943787.70
न्यूक्लियर	38000.0	37413.62
हाइड्रो	128000.0	121376.75
भूटान से आयात	4800.0	5244.21
आरईएस	70000.0	65780.85
कुल	<b>1207500.0</b>	<b>1173603.13</b>

(घ) : विगत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में विद्युत उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। 18वें इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की योजना बनाई गई है। परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट के इस लक्ष्य की तुलना में 30.06.2016 तक 86,565.72 मेगावाट हासिल कर ली गई है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1578 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार राज्य-वार उत्पादन (% वृद्धि सहित)

क्षेत्र	राज्य	2013-14		2014-15		2015-16	
		उत्पादन (एमयू)	% वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	% वृद्धि	उत्पादन (एमयू)	% वृद्धि
एनआर	बीबीएमबी	12125.01	10.78	10599.78	-12.58	11818.9	11.50
	दिल्ली	8637.67	-19.58	8722.83	0.99	6206.1	-28.85
	हरियाणा	26374.22	3.77	28748.61	9	22247.14	-22.61
	हिमाचल प्रदेश	21680.66	6.64	23319.13	7.56	27087.49	16.16
	जम्मू एवं कश्मीर	12426.79	-0.47	14485.02	16.56	15136.15	4.50
	पंजाब	20731.49	-5.5	22960.9	10.75	23342.89	1.66
	राजस्थान	45851.36	8.23	54185.92	18.18	53947.35	-0.44
	उत्तर प्रदेश	111843.01	7.18	111901.74	0.05	111329.53	-0.51
	उत्तराखंड	11025.01	-11.37	11439.22	3.76	12765.92	11.60
<b>एनआर कुल</b>		<b>270695.22</b>	<b>3.71</b>	<b>286363.15</b>	<b>5.79</b>	<b>283881.47</b>	<b>-0.87</b>
डब्ल्यूआर	छत्तीसगढ़	70930.12	4.13	79710.57	12.38	89513.29	12.30
	गोवा	241.32	-1.67	12.61	-94.77	0	-100.00
	गुजरात	97198.69	6.82	105538.54	8.58	104917.26	-0.59
	मध्य प्रदेश	59646.87	17.66	75212.47	26.1	95740.5	27.29
	महाराष्ट्र	94699.94	2.78	107309.21	13.31	117244.43	9.26
<b>डब्ल्यूआर कुल</b>		<b>322716.94</b>	<b>6.8</b>	<b>367783.4</b>	<b>13.96</b>	<b>407415.48</b>	<b>10.78</b>
एसआर	आंध्र प्रदेश	45526.85	-3.16	45245.42	-0.62	58230.59	28.70
	कर्नाटक	49364.51	12	50163.29	1.62	47553.25	-5.20
	केरल	9249.8	34.69	8034.17	-13.14	6653.34	-17.19
	पुडुचेरी	256.97	11.36	102.14	-60.25	227.59	122.82
	तमिलनाडु	62210.7	15.86	71418.41	14.8	76406.83	6.98
	तेलंगाना	39152.87	-0.78	40901.97	4.47	36868.2	-9.86
<b>एसआर कुल</b>		<b>205761.7</b>	<b>7.54</b>	<b>215865.4</b>	<b>4.91</b>	<b>225939.8</b>	<b>4.67</b>
ईआर	अंडमान निकोबार	171.49	26.27	153.76	-10.34	182.85	18.92
	बिहार	14939.36	1.58	18272.27	22.31	20827.01	13.98
	डीवीसी	28115.29	6.99	25551.11	-9.12	28029.93	9.70
	झारखंड	14345.18	24.52	14621.88	1.93	15933.67	8.97
	ओडिशा	46212.19	9.43	51332.44	11.08	57221.8	11.47
	सिक्किम	2945.38	13.44	3345.29	13.58	3551.92	6.18
	पश्चिम बंगाल	46069.88	-1.62	49742.02	7.97	46946.62	-5.62
<b>ईआर कुल</b>		<b>152798.77</b>	<b>5.89</b>	<b>163018.77</b>	<b>6.69</b>	<b>172693.8</b>	<b>5.93</b>
एनईआर	अरुणाचल प्रदेश	980.94	-20.89	1109.48	13.1	1280.25	15.39
	असम	4365.22	3.88	4299.84	-1.5	4522.12	5.17
	मणिपुर	639.84	10.24	372.44	-41.79	536.64	44.09
	मेघालय	981.61	26.7	863.15	-12.07	1035.99	20.02
	नागालैंड	245.71	15.17	165.15	-32.79	163.14	-1.22
	त्रिपुरा	2366.49	66.07	3824.44	61.61	5109.38	33.60
<b>एनईआर कुल</b>		<b>9579.81</b>	<b>13.56</b>	<b>10634.5</b>	<b>11.01</b>	<b>12647.52</b>	<b>18.93</b>
आयात	भूटान (आयात)	5597.9	16.76	5007.74	-10.54	5244.21	4.72
<b>आयात कुल</b>		<b>5597.9</b>	<b>16.76</b>	<b>5007.74</b>	<b>-10.54</b>	<b>5244.21</b>	<b>4.72</b>
<b>सकल योग</b>		<b>967150.34</b>	<b>6.04</b>	<b>1048672.96</b>	<b>8.43</b>	<b>1107822.28</b>	<b>5.64</b>

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1579

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद किया जाना

1579. श्रीमती रेणुका चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हाल ही में कोयला आधारित अनेक विद्युत संयंत्रों को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में जल की कमी वाले क्षेत्रों में कोयला-आधारित संयंत्रों का निर्माण नहीं करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : देश में हाल ही में (अप्रैल से जून, 2016) बंद किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की विगत राज्य-वार सूची उसके कारणों सहित अनुबंध में है।

(ग) : कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र भूमि, जल, ईंधन इत्यादि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं। राज्य की पेयजल, लोगों की अन्य जरूरतों और सिंचाई/कृषि आवश्यकता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सम्यक तत्परता के पश्चात ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए जल का आबंटन संबंधित राज्य-सरकार जहां परियोजना स्थित होती है, के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाता है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1579 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

हाल के विगत (अप्रैल से जून, 2016) में शून्य उत्पादन सहित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की राज्यवार सूची

राज्य	क्षेत्र	यूटिलिटी का नाम	स्टेशन का नाम	30.06.2016 की स्थिति के अनुसार क्षमता	बंदी कारण
बिहार	केंद्र	बीआरबीसीएल	नबी नगर टीपीपी	250	जेनरेटर ट्रांसफार्मर समस्या
बिहार	राज्य	बीएसईबी	बरौनी टीपीसी	210	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण / जीवनकाल विस्तार
छत्तीसगढ़	निजी	एसीबी	स्वास्तक कोरबा टीपीपी	25	न्यून अनुसूची
छत्तीसगढ़	निजी	वीईएसपीएल	काठघोड़ा टीपीपी	35	कोई एफएसक/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं
छत्तीसगढ़	निजी	वीवीएल	सलोरा टीपीपी	135	कोई एफएसक/पीपीए हस्ताक्षरित नहीं
दिल्ली	राज्य	आईपीजीपीसीएल	राजघाट टीपीप	135	न्यून अनुसूची
गुजरात	निजी	टॉर. पाव. (यूनोसुजेन)	साबरमती (सी स्टेशन)	60	न्यून अनुसूची
महाराष्ट्र	राज्य	महाजेनको	पारली टीपीएस	1380	कच्चे पानी की कमी
महाराष्ट्र	निजी	एमएनईपीएल	मिहान टीपीएस	246	न्यून अनुसूची
महाराष्ट्र	निजी	जीईपीएल	जीईपीएल टीपीपी फेज-1	120	गैर-किफायती प्रचालन
महाराष्ट्र	निजी	रत्तन इंडिया	नासिक (पी) टीपीएस	270	पीपीए हस्ताक्षरित नहीं
महाराष्ट्र	निजी	आईईपीएल	बेला टीपीएस	270	गैर-किफायती प्रचालन
मध्य प्रदेश	राज्य	एमपीपीजीसीएल	अमरकंटक	40	पूँजीगत रख-रखाव

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1580

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

गांवों में विद्युत अवसंरचना

1580. श्री के.टी.एस. तुलसी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अभिलेखों में 'विद्युतीकृत' गांवों के रूप में वर्गीकृत कई गांवों में आज भी कोई विद्युत अवसंरचना उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, किसी गांव को विद्युतीकृत परिभाषित किया जाता है, यदि:

- (i) आवासित स्थानों के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों द्वारा स्थानीय रूप से आवासित/वासस्थल, जहां वह मौजूद है, में वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध करवा दी जाती है।
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, पंचायत, कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों इत्यादि को विद्युत उपलब्ध करवा दी जाती है, तथा
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

किसी गांव को राज्यों द्वारा तभी विद्युतीकृत घोषित किया जाता है जब वह उपरोक्त वर्णित मानदंडों को पूरा करता है। तथापि, अवसंरचना का स्तर उसी गांव के विभिन्न आवासों में अलग-अलग हो सकता है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1581

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

राजस्थान में गांवों का विद्युतीकरण

1581. श्री राम नारायण डूडी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कुल कितने गांवों तक बिजली पहुंच गई है; और

(ख) राज्य में बिजली से वंचित शेष गांवों तथा रेगिस्तानी इलाकों में ढाणियों तक बिजली की आपूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना बनाई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राजस्थान सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य में 495 गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँव थे। शेष जनगणना गाँव ऑन/ऑफ गिड प्रणाली के माध्यम से विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) : सभी गैर-विद्युतीकृत जनगणना गाँवों को मई, 2018 से पूर्व विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य है। गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण के अतिरिक्त, विद्युतीकृत गाँवों के गहन विद्युतीकरण तथा प्रणाली सुदृढीकरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है, की भी संस्वीकृति दी गई है। इससे जनगणना गाँवों के अतिरिक्त "ढाणियों" तक भी विद्युत पहुँचाने में सुगमता होगी।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1582

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्युत उत्पादन

1582. श्रीमती झरना दास बैद्य:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से यह आग्रह किया है कि उन्हें विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत परियोजनाओं की कड़ाई से निगरानी करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों पर विशेष ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन राज्यों के लिए संस्वीकृत विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(च) इन विद्युत परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत तथा निर्मुक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत परियोजनाओं (केंद्रीय उत्पादक स्टेशन को छोड़कर) की निगरानी करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का होता है। केंद्र सरकार विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से, केंद्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से, केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके तथा वहाँ से राज्यों को विद्युत आवंटित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार सीपीएसयू की विद्युत परियोजनाओं की निगरानी करती है।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया है। इस संबंध में, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नीपको के दो गैस आधारित विद्युत स्टेशनों तथा एक जल विद्युत परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। गैस आधारित विद्युत स्टेशन के मामले में, असम में 291 मेगावाट के असम गैस आधारित विद्युत संयंत्र (एजीबीपी) तथा त्रिपुरा राज्य में 135 मेगावाट के अगरतला गैस टरबाइन

संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र (एजीटीसीसीपी) को प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) के अंतर्गत गैस मूल्य में 40% तक की रियायत दी गई है। एजीबीपी के लिए 1 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) तथा एजीटीसीसीपी के लिए 0.75 एमएमएससीएमडी तक की मात्रा के लिए गैस का मूल्य बाजार दर का 60% रखा जाता है। जल विद्युत परियोजना के मामले में, निर्माणाधीन तुरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट), मिजोरम को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) द्वारा 300 करोड़ रुपए का अनुदान, तथा 291.96 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट लोन संस्वीकृत किया गया है।

**(ड) और (च) :** जल विद्युत उत्पादन के संबंध में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा वर्ष 2002 से, 1,71,061 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 22,874 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान की जा चुकी है। इसके ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

ताप विद्युत उत्पादन के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात्, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सीईए की स्वीकृति/संस्वीकृति अपेक्षित नहीं होती है। इसलिए, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संस्वीकृत ताप विद्युत परियोजनाओं और पूर्वोत्तर राज्यों में इन परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत तथा जारी की गई कुल राशि के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में, 12वीं योजना अवधि के दौरान कुल 1103.1 मेगावाट की छः ताप विद्युत यूनिट/माँड्यूलस चालू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, इस समय पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 625.5 मेगावाट की पाँच ताप यूनिट/माँड्यूलस निर्माणाधीन हैं जिनसे 12वीं योजना तथा इसके पश्चात् लाभ मिलेगा। नवीनतम परियोजना लागत, व्यय के साथ ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1582 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2002-03 के बाद सीईए द्वारा सहमति दी गई/मूल्यांकित जल विद्युत योजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	योजना	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)		अनुमानित लागत (रु. करोड़ में) मूल्य स्तर
1	सुबानसिरी लोअर	अरुणाचल प्रदेश	8x250	2000	6608.68 (12/2002)
2	तिपाईमुख	मणिपुर	6x250	1500	5163.86 (12/2002)
3	लोकटक डाउनस्ट्रीम (**)	मणिपुर	2x33	66	867.77 (10/2006)
4	पारे	अरुणाचल प्रदेश	2x55	110	553.25(6/2007)
5	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	12x250	3000	15886.39 (11/2007)
6	देम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	5x342+1x40	1750	13144.91*
7	डिब्लिन	अरुणाचल प्रदेश	2x60	120	728.54 *
8	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	9x300	2700	19990.74*
9	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	2x60	120	848.22 *
10	नियामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	6x130	780	6115.6*
11	कोलोडाइन स्टेज-II	मिजोरम	4x115	460	5188.13 (10/2010)
12	तवांग स्टेज-I	अरुणाचल प्रदेश	3x200	600	4824.01 (5/2010)
13	तवांग स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	4x200	800	6112.3 (5/2010)
14	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	4x175	700	5616.20*
15	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	2x72	144	1436.27 (पूर्णता लागत)
16	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	4x125	500	5532.63 (पूर्णता लागत)
17	इटालिन	अरुणाचल प्रदेश	10x307+1x19.6+1x7.4	3097	25296.95 (पूर्णता लागत)
18	ताल्लोंग लोंदा	अरुणाचल प्रदेश	3x75	225	2172.88 (पूर्णता लागत)
19	नायिंग	अरुणाचल प्रदेश	4x250	1000	9301.11 (पूर्णता लागत)
20	सियोम	अरुणाचल प्रदेश	6x166.7	1000	12100 (पूर्णता लागत)
21	दिखु	नागालैण्ड	3x62	186	1994.74 (पूर्णता लागत)
22	कलई-II	अरुणाचल प्रदेश	5x190+1x190+1x60	1200	14199.64 (पूर्णता लागत)
23	क्यांशी-I	मेघालय	2x135	270	3154.37 (पूर्णता लागत)
24	हीयो	अरुणाचल प्रदेश	3x80	240	1614.35 (पूर्णता लागत)
25	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	3x62	186	1493.55 (पूर्णता लागत)
26	लोअर कोपिली	असम	2x55+1x5+2x7.5	120	1115.91
	<b>कुल (26 संख्या)</b>			22874	171061.00

\* पूर्णता लागत

(\*\*) सीईए ने पुनः वैधीकरण के लिए मना कर दिया और परियोजना विकासकर्ता को अद्यतन विशेषताओं और संशोधित लागत अनुमान सहित नई डीपीआर प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1582 के भाग (ड) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

12वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में चालू की गई/निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी/ ईपीसी या बीटीजी	यूनिट संख्या	क्षमता (मेवा)	स्थिति	नवीनतम लागत (रु. करोड़ में)	व्यय (रु. करोड़ में)
1	असम	बोंगईगाँव टीपीपी / एनटीपीसी / भेल (केंद्रीय क्षेत्र)	यू-1	250	चालू की गई	6749.18	5989
			यू-2	250	निर्माणाधीन		
			यू-3	250	निर्माणाधीन		
2	असम	नामरूप सीसीजीटी / एपीजीसीएल / भेल (ईपीसी) (राज्य क्षेत्र)	जीटी	70	निर्माणाधीन	693.73	462.5
			एसटी	30	निर्माणाधीन		
3	त्रिपुरा	मोनारचक सीसीपीपी / नीपको / भेल (ईपीसी) (केंद्रीय क्षेत्र)	जीटी	65.4	चालू की गई	1007.68	990.54
			एसटी	35.6	चालू की गई		
4	त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस / ओटीपीसी / भेल (ईपीसी) (केंद्रीय क्षेत्र)	मॉड्यूल-1	363.3	चालू की गई	3429.00	3717.6
			मॉड्यूल-2	363.3	चालू की गई		
5	त्रिपुरा	अगरतला / नीपको / थर्मक्स (ईपीसी) (केंद्रीय क्षेत्र)	एसटी-1	25.5	निर्माणाधीन	382.41	343.88
			एसटी-2	25.5	चालू की गई		
			उप-योग	1103.1	चालू की गई		
			उप-योग	625.5	निर्माणाधीन		
			<b>कुल</b>	<b>1728.6</b>			

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1583

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है ।

ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता के संबंध में "ब्रिक्स" कार्यकारी समूह की बैठक

1583. डॉ. टी. सुब्बाराजी रेड्डी:

श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरित ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को अधिकतम स्तर पर ले जाने पर चर्चा करने के लिए हाल ही में विशाखापटनम में ऊर्जा बचत और ऊर्जा दक्षता पर "ब्रिक्स" कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एलईडी प्रकाश व्यवस्था और सौर विद्युत को बढ़ावा देने की सलाह दी गई और यदि हां, तो रियायती दर पर एलईडी बल्ब वितरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : बीआरआईसीएस (ब्रिक्स) देशों के ऊर्जा बचत एवं ऊर्जा दक्षता सुधार संबंधी कार्यकारी समूह की बैठक 4-5 जुलाई, 2016 को विशाखापटनम में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, 'ब्रिक्स' देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने देशों में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया था। 'ब्रिक्स' देशों में ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियाँ भी कार्यकारी समूह की बैठक में साझा की गई थी। संयुक्त वक्तव्य प्रारूप, समूह की कार्य योजना तथा विचारार्थ विषयों के संबंध में चर्चा की गई थी। विशाखापटनम शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग का प्रदर्शन करने के लिए कार्यकारी समूह के सदस्यों के लिए स्थित दौरे का आयोजन भी किया गया था।

(ग) : एलईडी बल्बों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। चार विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने सभी के लिए वहनीय एलईडी (उजाला) तथा एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग द्वारा उन्नत ज्योति योजना के समान कार्यान्वयन कार्यक्रमों में 'ब्रिक्स' देशों की सहायता करने का प्रस्ताव किया था। तथापि, सब्सिडाइज दरों पर एलईडी लाइट वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई थी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1584

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2016 को दिया जाना है।

विद्युतीकृत गांवों हेतु बिजली संबंधी अवसंरचना

1584. श्री अहमद पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार किस प्रकार की बिजली संबंधी अवसंरचना के आधार पर किसी गांव को विद्युतीकृत मानती है;

(ख) कोई गांव विद्युतीकृत है, यह निश्चित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या आकलन विशेषज्ञ, बिजली संबंधी अवसंरचना के होने से गांव को विद्युतीकृत मानते हैं;

(ग) क्या विद्युतीकृत माने गए प्रत्येक गांव के कम से कम 10 प्रतिशत परिवारों को बिजली मिल पाती है; और

(घ) वर्ष 2015-16 के दौरान कितने विद्युतीकृत गांवों में बिजली की चोरी हुई है और सरकार द्वारा बिजली के पारेषण के दौरान बिजली की मध्यवर्ती चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : ग्रामीण विद्युतीकरण नीति, 2006 के अनुसार, किसी गाँव को विद्युतीकृत के रूपों में तभी परिभाषित किया जाएगा, जब

- (i) आधारभूत संरचना जैसे कि वितरण ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइन बसावटवाले स्थानों तथा साथ ही साथ, समाज के कमजोर वर्ग के वासस्थलों/पुरवों जहाँ वे रहते हैं, में उपलब्ध करवाई जाती हों,
- (ii) विद्युत सार्वजनिक स्थानों जैसे, विद्यालयों, पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधशालाओं, सामुदायिक केंद्रों आदि में उपलब्ध करवाई जाती हैं, तथा
- (iii) गाँव में न्यूनतम 10% घर विद्युतीकृत होने चाहिए।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर, राज्य/डिस्कॉम गाँव के विद्युतीकृत होने की रिपोर्ट देते हैं।

(घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, विद्युत चोरी के मामलों की संख्या **अनुबंध** में दी गई है। विद्युत चोरी पर नियंत्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य तथा/अथवा वितरण कंपनियों का होता है। भारत सरकार विद्युत चोरी को कम करने के लिए राज्यों की प्रणाली का विकास करने में सहायता करती है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 01.08.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1584 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2014-15 की अवधि के दौरान पता लगाए गए उन मामलों की संख्या जहाँ विद्युत की चोरी पकड़ी गई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		उन मामलों की संख्या जिनमें निरीक्षण किया गया (सं.)	उन मामलों की संख्या जिनमें विद्युत की चोरी पकड़ी गई (सं.)
1. असम	असम पावर वितरण कंपनी लिमिटेड	3000	388
2. छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	272925	8145
3. गुजरात	डीजीवीसीएल, सूरत	214783	11756
	एमजीवीसीएल	357866	13035
	यूजीवीसीएल	756762	6480
	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड	1463826	51889
4. गोआ	गोआ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट	2715	84
5. हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड	110707	260
6. कर्नाटक		204776	54100
	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	101984	33805
	चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन कंपनी	23286	766
	मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	14949	229
	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	28634	2083
	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी	35923	17217
7. केरल	केरल राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	31369	895
8. राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	61083	15560
	अजमेर इलेक्ट्रिसिटी वितरण निगम लिमिटेड	120700	41768
	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	109870	74330
9. मेघालय	मेघालय पावर वितरण कंपनी लिमिटेड	4568	1048
10. मिजोरम	पावर एण्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट	13795	101
11. नागालैण्ड	डिपार्टमेंट ऑफ पावर	1234	909
12. तमिलनाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	533323	18532
13. पश्चिम बंगाल	सीईएससी लिमिटेड कोलकाता	447650	78706
	पश्चिम बंगाल राज्य इलेक्ट्रिसिटी वितरण कंपनी लिमिटेड	26132	6205
14. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	39539	36139
	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	23380	22838
	टाटा पावर-डीडीएल	20211	8491
15. दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	पावर वितरण कारपोरेशन	19	1
16. पुडुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र		2610	3
17. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट	1879	62

\*\*\*\*\*